पंजीकृत

प्रेषक,

जनसूचनाधिकारी /रजिस्ट्रार
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड,उ0प्र0
'आयुर्वेद भवन' 32,सरोजनीनायडूमार्ग, लखनऊ

पत्रांक 2358 /बोर्ड –रजि0–जन0सू0/24   लखनऊ : दिनांक 29-10-2024

विषयः– **जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन ।**

महोदय,

जनसूचनाधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्रेषित उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 03–10–2024 में उल्लिखित विन्दुं के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत है–

01 –उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1227/96– आयुष–1–2024/ई0 पत्रा0–99/1099/1099/17/2023 दिनांक 26 फरवरी, 2024 निर्गत करते हुए विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बैचलर आफ नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस (बी0एन0 वाई0एस0) पाठ्यकम पूर्ण कर चुके स्नातकों के नियमानुसार पृथक रजिस्टर में पंजीकरण किये जाने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया गया हैं । उक्त शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2024 के अनुपालन में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से बैचलर आफ नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस (बी0एन0वाई0एस0) पाठ्यकम पूर्ण कर चुके स्नातकों के पंजीयन बोर्ड द्वारा किये जा रहे हैं ।

02– नही, केवल विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बैचलर आफ नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस (बी0एन0 वाई0एस0) पाठ्यकम पूर्ण कर चुके स्नातकों के पंजीयन बोर्ड द्वारा किये जायेगे ।

03– बोर्ड में पंजीयन हेतु उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नही है किन्तु चिकित्साभ्यास हेतु उत्तर प्रदेश का पता होना अनिवार्य है ।

04–भारत वर्ष के किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बैचलर आफ नेचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस (बी0एन0वाई0एस0) पाठ्यकम पूर्ण कर चुके स्नातकों के पंजीयन बोर्ड द्वारा किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा0अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार